कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय-आदेश

कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से यह निर्देश दिया गया था कि जहाँ एक ही परिसर में मध्य विद्यालय एवं माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, वहाँ शिक्षकों की कमी को देखते हुए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एक समेकित रुटीन (समय-सारणी) तैयार करेंगे। इस रुटीन में माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ आवश्यकतानुसार मध्य विद्यालय की कक्षाओं के संचालन हेतु भी शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी थी। परंतु, अधोहस्ताक्षरी को लगातार ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों द्वारा मध्य विद्यालय की कक्षाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जहाँ उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की कमी है, वहाँ माध्यमिक शिक्षकों द्वारा भी उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के संचालन से इनकार किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है।

विदित हो कि विभागीय निदेशानुसार प्रत्येक शिक्षक को प्रतिदिन न्यूनतम 6 कक्षाओं का संचालन करना अनिवार्य है। हाल ही में जाँच के क्रम में जिले के 3 शिक्षकों को प्रतिदिन 6 कक्षाएं संचालित नहीं करते हुए पाया गया था। फलस्वरुप, उक्त तीनों शिक्षकों के साथ-साथ संबंधित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

अतः जिले में पदस्थापित सभी प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को स्पष्ट निदेश दिया जाता है कि विभागीय निदेशानुसार प्रतिदिन 6 कक्षाओं का गुणवत्तापूर्ण संचालन सुनिश्चित करें। जहाँ एक ही परिसर में मध्य विद्यालय संचालित हैं, वहाँ आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मध्य विद्यालय के सभी विषयों एवं कंप्यूटर की शिक्षा भी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों द्वारा दी जाएगी। यदि जाँच के क्रम में यह पाया जाता है कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन आपके द्वारा नहीं किया गया है, तो वर्णित स्थिति में संबंधित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के विरुद्ध विभागीय निदेशों की अवहेलना करने, छात्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करते हुए उनके अधिकारों का हनन करने तथा बिना कार्य किए वेतन प्राप्त करने के आरोप में कठोर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए वे स्वयं पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

11.8.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली
11/8/26

ज्ञापांकः-1759 हाजीपुर दिनांकः-11/08/26

प्रतिलिपिः-सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ सभी शिक्षक,जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.8.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली
11/8/26